ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु योजनाओं की गलत ढंग से मॉनीटरिंग

294. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिं यादव:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाओं की सही ढंग से मानीटरिंग नहीं होती है जिसके कारण इन योजनाओं से लोगों को विशेष फायदा नहीं हो रहा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने अपनी योजनाओं की निगरानी के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की है जिससे इन योजनाओं के लाभ निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से लक्षित गरीबों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो सके:—

1. मासिक प्रगति रिपोर्ट/रिटर्न।
2. राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्र निरीक्षण।
3. मंत्रालय की क्षेत्र अधिकारी योजना।
4. विभिन्न समितियों जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समीक्षा।
5. राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों का सम्मेलन।
6. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुकावटों का पता लगाने और प्रभाव का आकलन करने के लिए समवर्ती मूल्यांकन।
7. वीडियो कांफ्रेंस।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, राज्य/जिला/ब्लाक स्तरों पर निगरानी एवं सतर्कता समितियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें संसद और विधायकों को भी शामिल किया गया है।

स्वरोजगार कार्यक्रम में ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, योजना के अन्तर्गत युवकों को रोजगार

295. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "स्व-रोजगार कार्यक्रम में ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण" योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवा अभी भी बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में रोजगार न पाने वाले ऐसे युवाओं की संख्या क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आकलन न करने का क्या कारण है, और

(ङ) क्या सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने का विचार रखती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) ट्राइसेम कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीबों को बुनियादी तकनीकी तथा उद्यम संबंधी कौशल उपलब्ध कराना है ताकि वे स्वमजदूरी रोजगार शुरू कर सकें। कार्यक्रम की कारगरता का पता लगाने के लिए ख्यातिप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से ट्राइसेम का एक तीव्र मूल्यांकन (जून-अगस्त, 93) कराया गया था, जिससे यह पता चला कि 47.19% प्रशिक्षित युवा बेरोजगार थे।

(ख) सरकार ने ट्राइसेम योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ पहल की है। राज्यों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ ट्राइसेम के बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने, सेवा क्षेत्र और नियमित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण; अपंग लोगों तथा महिलाओं का प्रशिक्षण; निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण; आदि पर अधिक बल देने का अनुरोध किया गया है। वजीफे की दरें बढ़ा दी गयी हैं।

(ग) 8वीं योजनावधि तथा वर्ष 1997-98 के दौरान प्रशिक्षित युवाओं तथा प्रशिक्षित युवाओं, जो स्व/मजदूरी रोजगार में लगे हुए थे, की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(घ) और (ङ) 1993-94 के दौरान तीव्र मूल्यांकन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था।

विवरण

आठवीं योजनावधि तथा 1997-98 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं तथा स्व/मजदूरी रोजगार में लगे प्रशिक्षित युवाओं की राज्यवार संख्या

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना		1997-98	
		प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या	स्व/मजदूरी रोजगार में लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या	स्व/मजदूरी रोजगार में लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	159279	85621	20850	9708
2.	अरुणाचल प्रदेश	4061	2574	698	436
3.	असम	43839	12597	7302	1370
4.	बिहार	146483	40572	33337	8462
5.	गोआ	13177	9881	1769	602
6.	गुजरात	55360	23985	7284	4460
7.	हरियाणा	24437	14224	1541	852
8.	हिमाचल प्रदेश	5209	7051	857	723
9.	जम्मू व कश्मीर	13591	996	2252	499
10.	कर्नाटक	80818	30333	15914	5455
11.	केरल	29218	23504	3846	2892
12.	मध्य प्रदेश	206595	122002	14125	13017
13.	महाराष्ट्र	83097	39864	13843	7458
14.	मणिपुर	2711	586	836	330
15.	मेघालय	1368	546	361	117
16.	मिजोरम	4518	2154	552	295
17	नागालैंड	2533	1297	832	226
18.	उड़ीसा	66179	50438	14951	8846
19.	पंजाब	15925	10865	1656	729
20.	राजस्थान	48227	14684	7901	1454
21.	सिक्किम	1569	0	216	0
22.	तमिलनाडु	75255	28641	10972	1307
23.	त्रिपुरा	13306	6399	3599	965
24.	उत्तर प्रदेश	316681	164024	65875	32947
25.	पश्चिम बंगाल	100111	53709	19970	9534
26.	अंडमान निकोबार	2050	327	293	13
27.	दमन व द्वीव	250	17	151	0
28.	दादर व न॰ हवेली	388	0	82	0
29.	लक्षद्वीप	58	22	0	0
30.	पांडिचेरी	1173	855	138	45
	अखिल भारत	1517475	747398	251387	112742